

246

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/184/डी.एड. सेल/2013


भोपाल, दिनांक 04/04/2013

विज्ञप्ति

D.EL.ED. & D.E.C.ED (पूर्व प्रचलित डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के द्वारा किया जाता है। परीक्षा निकाय होने की हैसियत से माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा NCTE से मान्यता प्राप्त D.EL.ED. & D.E.C.ED संस्थाओं को सम्बद्धता जारी की जाती है। उक्त संबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 276/12 (माँ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन) में पारित आदेश दिनांक 13/12/2012 द्वारा NCTE, राज्य शासन एवं संबंधित परीक्षा निकायों को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं तिथिवार कार्यक्रम घोषित किया गया है।

मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्तानुसार आदेश के पालन में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा D.EL.ED. & D.E.C.ED पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के नवीन सम्बद्धता एवं सम्बद्धता नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने हेतु निम्नानुसार तिथियाँ निश्चित की जाती हैं। उक्तानुसार निश्चित तिथियाँ आगामी सत्र 2013-2014 से प्रभावशील मानी जाएंगी।

1. नवीन सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण संबंधी निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा करने हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र हेतु 10 मार्च निर्धारित होगी। मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/12/2012 को पारित उपरोक्त संदर्भित आदेश मण्डल कार्यालय में दिनांक 19/03/2013 को प्राप्त होने के फलस्वरूप सत्र 2013-2014 मात्र के लिए उपरोक्तानुसार नवीन सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण संबंधित शुल्क मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 20/04/2013 निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था मण्डल द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मात्र सत्र 2013-2014 हेतु उपरोक्त तिथि में परिवर्तन किये जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन के निर्णय के अध्याधीन होगी। दिनांक 20.04.2013 तक प्रस्तुत सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्रों पर सत्र 2013-2014 हेतु विचार किया जाएगा।
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु सम्बद्धता संबंधी आदेश जारी किये जाने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की जाती है।



सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,  
भोपाल